



यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

प्रलम्बित के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नविवरण\) अधिनियम, 2013, वशिखा दशिा-नरिदेश, वन सटॉप सेंटर योजना, नारी शक्ति पुरसकार](#)

मेन्स के लिये:

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविवरण) (Prevention of Sexual Harassment Act- PoSH) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को लेकर चर्चा व्यक्त की।

- न्यायालय ने इस अधिनियम से संबंधित गंभीर खामियों और अनश्चितताओं पर प्रकाश डाला है जिसके कारण कई कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त प्रमुख चर्चाएँ:

- PoSH अधिनियम के कार्यान्वयन में गंभीर खामियों और अनश्चितताएँ पाई गई हैं, उदाहरण के लिये 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16 संघों द्वारा अनविवार्य आंतरिक शकियत समितियों (Internal Complaints Committees- ICCs) का गठन किया गया था।
 - यह PoSH अधिनियम को लागू करने के लिये ज़म्मेदार राज्य के अधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, नज़ी उपक्रमों, संगठनों और संस्थानों पर खराब प्रभाव डालता है।
- इन खामियों के कारण महिलाओं के आत्मसम्मान, भावनात्मक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह महिलाओं को यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है क्योंकि वे इसके परिणाम के बारे में अनश्चित होती हैं और उनमें न्याय व्यवस्था को लेकर विश्वास की कमी भी होती है।
- सफ़िरशि:
 - यदि कार्यस्थल का माहौल शत्रुतापूर्ण, असंवेदनशील और अनुत्तरदायी बना रहता है, तो अधिनियम केवल औपचारिक बनकर रह जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की गरमा और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाना चाहिये।
 - प्रासंगिक नकियों ने अधिनियम के तहत ICC, स्थानीय समितियों (LC) और आंतरिक समितियों (IC) का गठन किया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिये एक समयबद्ध अभ्यास प्रक्रिया की आवश्यकता है।
 - नकियों को अपनी संबंधित समितियों का वविवरण अपनी वेबसाइट्स पर प्रकाशित करने का नरिदेश दिया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी मंत्रालयों, नकियों को अधिनियम 2013 के आदेशों का पालन करने के लिये आठ सप्ताह का समय दिया है।

PoSH अधिनियम, 2013:

- परचिय:
 - PoSH अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिये बनाया गया एक कानून है।
 - अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
 - PoSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिये मांग या

अनुरोध, अश्लील टिपिणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं।

- **पृष्ठभूमि:** सर्वोच्च न्यायालय ने **वशिखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997** मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में '**वशिखा दशा-नरिदेश**' जारी किया।
 - इन दशा-नरिदेशों में **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नवारण) अधिनियम, 2013** ("यौन उत्पीड़न अधिनियम") को आधार बनाया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 15 (केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ)** सहित संविधान के कई प्रावधानों से शक्ति प्राप्त की, साथ ही प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों जैसे सामान्य अनुशंसाओं का भी चर्चा किया, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW), जिसे भारत ने वर्ष 1993 में अनुसमर्थित किया।
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - **रोकथाम और नषिध:** अधिनियम कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिक्रिया करने के लिये नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है।
 - **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिये नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करना आवश्यक है।
 - शिकायत समितियों के पास **साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी अदालतों** की शक्तियाँ हैं।
 - **नियोक्ताओं के कर्तव्य:** नियोक्ताओं को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये, एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिये और **कार्यस्थल पर POSH अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदर्शित** करनी चाहिये।
 - **शिकायत तंत्र:** अधिनियम शिकायत दर्ज करने, पूछताछ करने और शामिल पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित करता है।
 - **दंड:** अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें **जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना** शामिल है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर जस्टिस वर्मा समिति की सफारिशें:

- घरेलू कामगारों को PoSH अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
- यह एक सुलह प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है जहाँ शिकायतकर्ता और प्रतिक्रिया को शुरू में बातचीत और समझौते के माध्यम से मुद्दे को हल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- नियोक्ता को यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को मुआवजा देना चाहिये।
- PoSH अधिनियम में **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee- ICC) के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण** की स्थापना करना।

महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य पहलें:

- **वन स्टॉप सेंटर योजना**
- **उज्वला:** तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी तथा वाणज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण हेतु व्यापक योजना
- **सुवाधार (SWADHAR) गृह** (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं हेतु योजना)
- **नारी शक्ति पुरस्कार**

स्रोत: द हिंदू